VIIIth paper

Dr. Khalid Hussain

A1

# मान्यता के सिद्धान्त
## (Theories of Recognition)

मान्यता के स्वरूप, कार्य तथा निश्चित कानूनी ~~निहितार्थों~~ (प्रभावों) के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लेखकों के बीच सैद्धांतिक विवाद पाया जाता है। सामान्य रूप से मान्यता संबंधी दो मुख्य सिद्धांत प्रचलित हैं:— (i) Constitutive Theory तथा (ii) Declaratory Theory (निर्माणात्मक तथा घोषणात्मक सिद्धांत)।

**Constitutive Theory (निर्माणात्मक सिद्धांत):-**
निर्माणात्मक सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में Oppenheim, Guggenheim, Anzilotti, Holland, Kelsen, Schwarzenberger, Lauterpacht तथा कुछ अन्य विधिवेत्ताओं का नाम उल्लेखनीय है। पश्चिमी देश मान्यता के निर्माणात्मक सिद्धांत के ही समर्थक रहे हैं। इस विचारधारा के अनुसार मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही कोई समुदाय राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है या किसी नई सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होता है। Oppenheim के शब्दों में, "Through Recognition only and exclusively a State becomes an International Person and a subject of International law."

राज्य व्यवहार को देखते हुए Lauterpacht ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मान्यता प्रकृति से निर्माणात्मक है। मान्यता के प्रश्न को राजनीतिक प्रभाव से बचाव रखने के लिए Lauterpacht ने यह सुझाव दी है कि जो समूह राज्यत्व के आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर लेता है या जो सरकार किसी राज्य के प्रतिनिधित्व की योग्यता रखती हो उसकी मान्यता को राज्यों का वैधानिक कर्तव्य घोषित किया जाना चाहिए।

मान्यता का निर्माणात्मक सिद्धांत कई दोषों से ग्रस्त है। विशेष रूप से मान्यता के दूसरे सिद्धांत - घोषणात्मक सिद्धांत (Declaratory Theory) के समर्थकों ने निर्माणात्मक सिद्धांत की कटु आलोचना की है।

इस संदर्भ में सबसे पहले इसके कमजोर सैद्धांतिक आधार का उल्लेख किया जा सकता है। निर्माणात्मक सिद्धांत

Scanned with CamScanner

VIII A2

व्यवहारवाद के सिद्धांत (Doctrine of Positivism) पर आधारित है परंतु पिछले लगभग 75 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत से ऐसे विकास हुए हैं जिनके चलते व्यवहारवाद के सिद्धांत की स्वीकार्यता में कमी आयी है।

दूसरे, निर्मायात्मक सिद्धांत को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि मान्यता रहित राज्य का अंतर्राष्ट्रीय विधि से कोई सरोकार नहीं होगा। ऐसे निष्कर्ष को स्वीकार करने का अर्थ होगा अराजक परिस्थिति की उपस्थिति।

तीसरे, निर्मायात्मक सिद्धांत के विरुद्ध एक व्यावहारिक तर्क यह है कि मान्यता रहित राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों से बाध्य माने जाते रहे हैं।

अन्त में, मान्यता के निर्मायात्मक सिद्धांत के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी समुदाय को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कितने राज्यों की मान्यता आवश्यक है। फिर, यदि State 'A' किसी राज्य को मान्यता प्रदान कर देता है, परंतु State 'B' उस राज्य को मान्यता प्रदान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में वह राज्य State 'A' के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन जाता है, परंतु वही राज्य State 'B' के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं हो पाता। यह स्थिति विचित्र स्थिति है।

## Declaratory Theory

मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निर्मायात्मक सिद्धांत के विरोध स्वरूप किया गया है। Hackworth, Hall, Brierly, Bishop, Starke, T.C. Chen तथा कई अन्य लेखकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। राज्यों के व्यवहार से इसे भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। अफ्रीका और एशिया के नवोदित राष्ट्र तो निश्चित रूप से मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत को ही अधिक संतोषप्रद सिद्धांत मानते रहे हैं।

मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मान्यता का कोई निर्मायात्मक प्रभाव नहीं होता है। यदि राज्य का अस्तित्व वास्तव में है या सरकार की सत्ता

Scanned with CamScanner

VIII A 3

स्थापित है तो ऐसी स्थिति में यह बात अर्थहीन है कि राज्य या सरकार की सत्ता को औपचारिक रूप से दूसरे राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है या नहीं। यह मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की ओर से एक स्थापित तथ्य को स्वीकार करने की घोषणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 1936 में मान्यता के संबंध में अपने एक प्रस्ताव में Institute of International Law ने यह विचार व्यक्त किया था कि Recognition has a declaratory effect.

घोषणात्मक सिद्धांत की अधिक स्वीकार्यता के बावजूद घोषणात्मक सिद्धांत कुछ दोषों से ग्रस्त है कुछ विद्वानों ने उदाहरणों के माध्यम से यह साबित करने का प्रयत्न किया है कि अस्तित्व मात्र से अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण करने के पश्चात जापान ने एक स्वतंत्र मंचूको नामक राज्य की स्थापना की घोषणा की परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के अभाव में मंचूको राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो सका।

दूसरे यह कहना भी उचित नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत मान्यता का राज्य पर कोई प्रभाव नहीं होता।

<u>मूल्यांकन:-</u> मान्यता के निर्माणात्मक सिद्धांत तथा घोषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या एवं परीक्षण से स्पष्ट है कि दोनों में से कोई भी सिद्धांत को न तो पूर्णत: स्वीकार किया जा सकता है और न ही अस्वीकार। मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मान्यता के कुछ लाभ हैं और उससे राज्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के कार्यान्वयन आसान हो जाते हैं। मान्यता से नए राज्य के अस्तित्व के स्थापित होने में भी सहायता मिल सकती है। 1991 में Latvia, Lithuania तथा Estonia के फिर से नए राज्य के रूप में उदय में पश्चिमी देशों की मान्यता ने सहायता पहुँचायी।

दूसरी ओर, निर्माणात्मक सिद्धांत का यह

Scanned with CamScanner

VIII    A4

प्रतिपादन राज्यों के व्यवहार से मेल नहीं खाता कि अमान्य राज्यों या सरकारों का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता। वास्तविकता यह है कि मान्यता रहित राज्यों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग किये हैं तथा दायित्वों से अपने को बाध्य समझा है इसके अतिरिक्त मान्यता के पूर्वगामी प्रभाव के नियम से भी घोषणात्मक सिद्धांत को बल मिलता है मान्यता चाहे जब भी जाए उसे उसी दिन से प्रभावकारी माना जाता है जब किसी समुदाय का राज्य के रूप में उदय हुआ या कोई सरकार स्थापित हुई। 1921 के Luther Vs Sagar, 1923 के Tinoco पंच निर्णय तथा कई अन्य मामलों में न्यायिक निर्णय से मान्यता के पूर्वगामी प्रभाव की पुष्टि होती है ऐसी स्थिति में यद्यपि मान्यता के प्रभाव को नकार नहीं जा सकता तथापि घोषणात्मक सिद्धांत को ही अधिक - संतोषप्रद सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका अधिक संतोषप्रद होना ही इसकी व्यापक स्वीकार्यता का सबसे बड़ा कारण है

Scanned with CamScanner